फॉर्म 1 क

चिकित्सीय परीक्षा के बिना सेवानिवृत्ति पेंशन की प्रतिशतता के संराशीकरण हेतु आवेदन का फॉर्म, जब आवेदक इस बात पर बल देना चाहता हो कि पेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान पेंशन अदायगी आदेश के माध्यम से अधिकृत किया जाए

नियम 5 (2), 12, 13 (3), 14 (1) और 15 (3) देखें

(सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

भाग - I

सेवा में,

....

....

(यहां कार्यालय प्रमुख का पदनाम और पूरा पता उपदर्शित करें)

विषय: चिकित्सीय परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण।

महोदय,

मैं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के उपबंधो के अनुसार अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकरण करना चाहता हूं। आवश्यक विशिष्टियां नीचे वर्णित हैं।

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. पिता का नाम और पति का नाम भी (महिला सरकारी सेवक के मामले में) :

3. पदनाम :

4. कार्यालय/विभाग/मंत्रालय का नाम जिसमें नियोजित हैं :

5. जन्म तिथि (ईसवी सन में):

6. एफआर 56 (घ) के तहत अधिवर्षिता या सेवा

के विस्तार होने पर सेवानिवृत्ति की तारीख़ :

7. * संराशीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित
अधिवर्षिता पेंशन के संराशीकरण की प्रतिशतता :

8. **संवितरण प्राधिकारी जिससे
पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद आहरित की जानी है।

a) कोषागार/उप-कोषागार
(का नाम और पूरा पता
कोषागार/उप-कोषागार उपदर्शित किए जाएं) :

b) (i) नामनिर्देशित राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा
पूरा डाक पते के साथ :

(ii) बैंक खाता संख्या जिसमें प्रतिमाह पेंशन :
जमा की जानी है

c) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के लेखा कार्यालय का नाम :

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

वर्तमान पता :

सेवानिवृत्ति के बाद पता :

- आवेदक को मासिक पेंशन की रकम प्रतिशतता में (अधिकतम एक तिहाई) उपदर्शित करना चाहिए, जिसे वह संराशीकृत करना चाहता है।

•• कृपया काट दें जो लागू न हो।

टिप्पणियां: पेंशन के संराशीकृत मान की अदायगी संवितरण प्राधिकारी के माध्यम से किया जाएगा जिससे सेवानिवृति के बाद पेंशन ली जानी है। आवेदक के पास यह विकल्प नहीं है कि वह संवितरण प्राधिकारी से पेंशन के संराशीकृत मान का आहरण करे जिससे पेंशन आहरित की जानी है।

<u>भाग - II</u>

लेखा अधिकारी

(यहां पता और पदनाम उपदर्शित करें).. को इस

टिप्पणी के साथ अग्रेषित कि:-

1. आवेदक द्वारा भाग I में दी गई विशिष्टियां सत्यापित कर ली गई है और वे सही हैं।
   i) आवेदक बिना चिकित्सीय जांच के अपनी पेंशन की प्रतिशतता का संराशीकृत करने का पात्र है।

   ii) वर्तमान में लागू सारणी के अनुसार संराशीकृत पेंशन का अवधारित मान ₹.. होता है।

   iii) संराशीकरण के पश्चात अवशिष्ट पेंशन की रकम ₹....................................... होगी।

2. आवेदक के पेंशन कागजात सभी प्रकार से पूरे थे, जिन्हें इस मंत्रालय/विभाग/अधिकारी पत्र सं...दिनांक................................. के अधीन अग्रेषित कर दिए गए थे। यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन के संराशीकरण मूल्य का भुगतान पेंशन अदायगी आदेश के माध्यम से प्राधिकृत किया जा सकता है जो आवेदक की सेवानिवृति से एक महीने पूर्व जारी किया जा सकता है।

3. इस फॉर्म के भाग I की आवती भाग II में अभिस्वीकृति कर दी गई है जिसे अलग से आवेदक को अग्रेषित कर दिया गया है............................

4. पेंशन का संराशीकृत मान लेखा शीर्ष से डेबिट किया जा सकता है ....

2071 Pen & ORB
01- Civil
102 - C.V.P.

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

(कार्यालय प्रमुख)